भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

19.03.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3207 का उत्तर

डिब्रूगढ़ से सिलीगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन

3207. श्री रंजीत दत्ता:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने के लिए असम में विश्वनाथ चरियाली से गुजरते हुए डिब्रूगढ़ से सिलीगुड़ी तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का कोई प्रस्ताव/योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए असम में बुनियादी रेलवे अवसंरचना और सेवाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख) सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से लगभग 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। डिब्रूगढ़-विश्वनाथ चरियाली-न्यू जलपाईगुड़ी खंड के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 15925/15926 डिब्रूगढ़-देवघर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को 05.03.2024 से शुरू किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान में डिब्रूगढ़-न्यू जलपाईगुड़ी खंड को 13 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय रेल में वंदे भारत गाड़ियों सहित नई गाड़ी सेवाएं शुरु करना परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात औचित्य आदि के अध्यधीन एक सतत प्रक्रिया है।

इसके अलावा, रेल परियोजनाओं की स्वीकृति और निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि मंडल-वार/जिला-वार/राज्य-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं मंडल/जिला/राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 18 परियोजनाएँ (13 नई लाइन और 05 दोहरीकरण) जिनकी कुल लंबाई 1,368 किलोमीटर तथा लागत 74,972 करोड़ रुपए है, योजना बनाने और कार्यान्वयन चरण में हैं, जिनमें से मार्च, 2024 तक 313 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 40,549 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इनमें शामिल हैं:-

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रूपए में)
नई लाइनें	13	896	81	34,616
दोहरीकरण	5	472	232	5,933
कुल	18	1368	313	40,549

असम राज्य सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किया गया नया रेलपथ	नई रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	333 किलोमीटर	66.6 किलोमीटर/वर्ष
2014-24	1728 किलोमीटर	172.8 किलोमीटर/वर्ष (लगभग 3 गुना)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और अन्य कार्यों हेतु औसत बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

अवधि	परिव्यय
2009-14	2,122 करोड़ रु. प्रति वर्ष
2024-25	10,376 करोड़ रु. (लगभग 5 गुना)

किसी रेल परियोजना का पूरा होना विभिन्न कारकों जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना अंशदान जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी साधनों का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं:- (i) गति शक्ति इकाइयां स्थापित करना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करना (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधि के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि करना (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन करना (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी मंजूरियों और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करना। इनके परिणामस्वरूप, 2014 से कमीशनिंग की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारतीय रेल में स्टेशनों का विकास/उन्नयन निरंतर चलने वाली और सतत् प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। स्टेशनों के विकास/उन्नयन के लिए कार्यों को मंजूरी देने और निष्पादित करते समय निचली कोटि के स्टेशनों की तुलना में उच्चतर कोटि के स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच में सुधार, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर बनाने की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है, जिनमें से 50 स्टेशन असम राज्य में स्थित हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए असम राज्य में चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
असम	50	अमगुरी, अरुणाचल, चापरमुख, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, दीफू, दुलियाजान, फकीराग्राम जं. गौरीपुर, गोहपुर, गोलाघाट, गोसाईगांव हाट हॉल्ट, हैबरगांव, हारमुती, होजई, जगिरोड, जोरहाट टाउन, कामाख्या, कोकराझार, लंका, लीडो, लुमडिंग, मजबत, माकम जं., मार्गेरिटा, मारियानी, मुरकोंगसेलेक, नाहरकटिया, नलबाड़ी, नामरूप, नारंगी, न्यू बोंगाईगांव, न्यू हॉफलांग, न्यू करीमगंज, न्यू तिनसुकिया, नार्थ लखीमपुर, पाठशाला, रंगापारा नार्थ, रंगिया जं., सरूपथार, सिबसागर टाउन, सिलापाथर, सिलचर, सिमलुगुरी, टांगला, तिनसुकिया, उदलगुरी, विश्वनाथ चरियाली, गुवाहाटी

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यत: योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाएं' के अंतर्गत वित्तपोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है। असम राज्य पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत आता है। इस ज़ोन के लिए, योजना शीर्ष-53 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 547 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है।

*****